फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2023/252 बअनवान मांगीलाल वगैरा बनाम श्रीमती पुनी वगैरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
15/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री शरीफ खान उपस्थित। अपार्थी स0 1 से 3 के अधिवक्ता श्री भरत जे0 राठौड उपस्थित। अप्रार्थी पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2073–76 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम डूगली पटवार हल्का सेवतलाव के खसरा न0 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 357, 360, 361, 362 कुल खसरा 11 कुल रकबा 12.22 हैक्टर के सहखातेदारान 65 है, जो इस तथ्य की पुष्टि करते है कि वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अतिरिक्त बहुत सारे है। प्रार्थीगण ने संयुक्त सहखातेदारी भूमि का सहखातेदारान के मध्य के विभाजन का वाद पेश नही कर peak and choose के आधार पर केवल अप्रार्थी सं0 1, 2, 3 के विरूद्व ही अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति चाही है। विधिक प्रावधानों के अनुसार अविभाजित संयुक्त सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का इंच–इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है प्रार्थीगण ने मात्र वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित मार्क भूमि खसरा न0 301 रकबा 1.00 हैक्टर के मार्क ई, एफ, जी रास्ता के शांतिपुर्वक उपयोग में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कथन उल्लेखित करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की हैं। चुकि भूमि अविभाजित है, तथा धारा 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम की तीनों शर्तो में से एक भी शर्त की पालना उक्त प्रकरण में साबित नही होती है। प्रार्थीगण ने विभाजन सम्बन्धी साक्ष्य सबुत भी पेश नही किये है। प्रार्थीगण धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद लाने हेतु स्वतंत्र है तथा मुख्य अनुतोष विभाजन का नही लाकर मात्र सहखातेदारो के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को गुमाराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। जिसकी अनुमति विधि के प्रावधान प्रदत नही करते हैं। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा ग्राम डुगली स्थित भूमि खसरा न0 301 रकबा 1.100 हैक्टर मे से नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ई, एफ, जी रास्ता के संबध में प्रस्तुत मूल वाद में वाद हेतुक उत्पन्न नही होने तथा उक्त प्रार्थना पत्र भी विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दुओ की कसौटी पर खरा नही उतरने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला पाली (राज.)	

Scanned with CamScanner